केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क- bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463
भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 33 शुक्रवार 22 अगस्त 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

पुलिस और श्रम विभाग ने 6 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गुरुवार को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और श्रम विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। टीम ने छावनी, हरैया और परशुरामपुर क्षेत्र में कार्रवाई की। दुकानों, ढाबों, रेस्टोरेंट और मोटर गैराजों से 6 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया गया। यह अभियान 1 जून से 31 अगस्त 2025 तक चलेगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। एएचटीयू प्रभारी विनय कुमार पाठक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी नागेंद्र त्रिपाठी और चाइल्ड लाइन के सदस्य टीम में शामिल थे। सभी बच्चों को उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया। बाल श्रमिकों को काम पर रखने वालों के खिलाफ श्रम विभाग कार्रवाई कर रहा है। टीम ने लोगों को बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना अपराध है। इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। बाल श्रम या शोषण की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर 1090, 1098, 108, 112, 1076 और 181 जारी किए गए हैं। प्रशासन ने कहा कि बाल श्रम और भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। थाना सोनहा क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। 20 अगस्त को दर्ज शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। आरोपी को उसी दिन रात 8 बजकर 8 मिनट पर कोरियाडीह नहर पुलिया के पास से पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान औडजंगल खास निवासी तेजस्वी उर्फ पृथ्वी (20 वर्ष) के रूप में हुई है। वह आदर्श कुमार का पुत्र है। गिरफ्तारी में प्रभारी निरीक्षक चन्दन कुमार के नेतृत्व में टीम शामिल रही। टीम में निरीक्षक अपराध रमजान अली अंसारी, उपनिरीक्षक रविन्द्र कुमार शुक्ला, हेड कांस्टेबल रामललित यादव और कांस्टेबल देवेन्द्र यादव व अजय कुमार थे।

पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। साथ ही वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर जनता का विश्वास बढ़ा है। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की कार्यशैली की सराहना की है।

3 नलकूप बंद, 15 टेल से जलापूर्ति नहीं

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सिंचाई बन्धु की बैठक विकास भवन सभागार में उपाध्यक्ष गजेन्द्र मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उपाध्यक्ष ने अधिशासी अभियन्ता सरयू नहर खण्ड–4, बस्ती/नोडल दिनेश मोहन से सरयू नहर के सभी खण्डों की टेल फीडिंग की जानकारी लिया। अधिशासी अभियन्ता सरयू नहर खण्ड–4, बस्ती/नोडल ने बताया कि चार खण्डों में कुल 160 टेल है। अभी तक कुल 145 टेल में जल की आपूर्ति की गयी है।

उपाध्यक्ष ने जनपद में संचालित नहरों के सर्विस सिस्टम के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करनी चाही। इसके लिए नोडल द्वारा इन्डेक्स मैप प्राप्त कराये जाने का आश्वासन दिया गया। उपाध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान समय में किसानों के धान की फसल सूख रही है, कम वर्षा के कारण वैकल्पिक सिंचाई संसाधन की महत्ता काफी बढ़ गयी है। अभियन्तागण पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सिंचन जल उपलब्ध कराने में सहयोग करें।

अधिशासी अभियन्ता नलकूप ने बताया कि चार नलकूप यांत्रिक दोष से तथा 03 नलकूप विद्युत दोष से बन्द है, इन्हें शीघ्र संचालित कराने की कार्यवाही की गयी है।

ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर यात्रियों को नहीं देना होगा अतिरिक्त रुपया

नई दिल्ली। (आभा)। क्या लिमिट से ज्यादा लगेज (सामान) ट्रेन में ले जाने पर अब हवाई यात्रा की तरह अतिरिक्त रुपये लगेंगे? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने ऐसी खबरों का खंडन करते हुए इसे गलत बताया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में खबरें सामने आई थीं कि जैसे हवाई जहाज में अतिरिक्त लगेज ले जाने पर एक्स्ट्रा अमाउंट यात्री को खर्च करना पड़ता है, उसी तरह अब भारतीय रेलवे भी ज्यादा लगेज ले जाने पर पैसे चार्ज करेगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, दशकों पहले से यह नियम है कि यात्री ट्रेन में कितना भी वजन का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। अब कोई नया नियम नहीं बना है। रेल मंत्री ने इस तरह से साफ कर दिया है कि ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों से ज्यादा सामान के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

पहले रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फर्स्ट क्लास एसी से सफर करने वाले यात्रियों को 70 किलो तक सामान ले जाने की छूट होगी, सेकंड क्लास एसी में 50 किलो और फिर थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के लिए 40 किलोग्राम की लिमिट तय होगी। वहीं, जनरल यानी कि सेकंड क्लास से यात्रा करने वाले यात्रियों को सिर्फ 35 किलो ले जाने की ही इजाजत होगी। अगर यात्री इससे ज्यादा का सामान अपने साथ ट्रेन में ले जाते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा। यह फैसला कुछ उसी तरह का होगा, जैसा कि विमान से यात्रा करने के दौरान होता है। इन अटकलों को रेल मंत्री ने खारिज कर दिया है।

वहीं, इससे पहले, रेलवे दीपावली और छठ के अवसर पर बिहार के लिए 12000 से अधिक ट्रेन सेवायें संचालित करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दीपावली और छठ के मौके पर होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने इस दौरान 12000 से अधिक ट्रेन सेवायें संचालित करने का निर्णय लिया है।

पाकिस्तान से द्विपक्षीय खेल नही

नई दिल्ली। (आभा)। जब से टी20 एशिया कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान हुआ है, तभी से इस तरह की चर्चा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को होने वाले मैच से पीछे हट जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। भारतीय चाहते हैं कि जब तक भारत से पाकिस्तान परस्त आतंकवाद खत्म न हो, तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई खेल या कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। इस बीच खेल मंत्रालय का बयान सामने आ गया है। खेल मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय खेल मुकाबले नहीं होंगे, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोका जाएगा।

गुरुवार को खेल मंत्रालय ने भारत के अंतरराष्ट्रीय खेल संबंधों के संबंध में नई नीति जारी की है, जिसमें खास तौर पर पाकिस्तान के साथ संबंधों पर जोर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार यह नीति तुरंत प्रभावी हो गई है। पीटीआई के मुताबिक, खेल मंत्रालय की नीति में कहा गया है, 'पाकिस्तान से जुड़े खेल आयोजनों में भारत का दृष्टिकोण उसी व्यापक नीति को दर्शाता है जो उस देश के साथ भारत के संबंधों में अपनाई गई है। जहां तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय खेल आयोजनों का सवाल है, तो भारतीय टीम पाकिस्तान में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेंगी। पाकिस्तान की टीमों को भी भारत में द्विपक्षीय मैच खेलने की अनुमति नहीं पाएंगी।

हालांकि, बहुपक्षीय खेल आयोजनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्रालय के एक स्रोत ने कहा, 'हम भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि यह एक बहुदेशीय प्रतियोगिता है।' उन्होंने आगे कहा, 'पाकिस्तान को द्विपक्षीय मुकाबलों के लिए भारतीय धरती पर खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन बहुपक्षीय आयोजनों में उनकी भागीदारी पर रोक नहीं होगी।

सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रचार वाहन रवाना

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। पी0एम0 सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत प्रचार–प्रसार हेतु मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह एवं जिलाधिकारी रवीश गुप्ता द्वारा प्रचार–प्रसार वाहन को आयुक्त कार्यालय बस्ती मण्डल बस्ती से हरी झण्डी दिखाकर प्रचार–प्रसार हेतु रवाना किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सन्तकबीर नगर आलोक कुमार, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर डॉ0 राजा गणपति आर, मुख्य विकास अधिकारी बस्ती सार्थक अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी सन्तकबीर नगर जयकेश त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर बलराम सिंह, परियोजना अधिकारी यूपी नेडा बस्ती डॉ0 राजमंगल चौधरी एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण एवं वेन्डर्स आरूही सर्विस, पूर्वादय एनर्जी सोल्यूशन, प्रकाश इन्टरप्राइजेज, वी0एम0 बैट्री हाउस, स्टार बैट्रीज एवं मेसर्स अभिषेक वर्मा उपस्थित रहें।

उक्त वेन्डर्स के प्रचार वाहन द्वारा बस्ती शहर के आयुक्त कार्यालय से शास्त्री चौक होते हुये गाँधी नगर मार्ग से रोडवेज, दक्षिण दरवाजा से रेलवे रोड एवं पुरानी बस्ती चौराहे से पाण्डेय बाजार होते हुये मंगल बाजार से मालवीय रोड, ब्लाक रोड घुमते हुये बड़ेबन चौराहे तक में पोस्टर बैनर, पैम्पलेट एवं ऑडियो क्लिप के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया गया।

विभागीय योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाना सुनिश्चित करें अधिकारी– मण्डलायुक्त

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें मण्डल के अधिकारियों ने अपनी–अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मण्डलायुक्त ने मण्डल स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नही की जायेगी।

–खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश

प्रदेश में जनपद और मण्डल की रैंक बेहतर करने के लिए निरन्तर सक्रिय रहकर आपसी समन्वय से कार्य करें। यह ध्यान दें कि प्रत्येक दशा में योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को ही मिले। बैठक में उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, विद्युत बिल में सुधार हेतु आवेदन, डेएनआरएलएम बैंक क्रेडिट लिंकेज, जलजीवन मिशन, फैमिली आईडी, 15वॉं वित्त आयोग ग्राम पंचायत, 5वॉं वित्त आयोग ग्राम पंचायत, स्वच्छ भारत मिशन फेज–2, पर्यटन राज्य योजना, निपुण परीक्षा आकलन, मध्यान्ह भोजन एवं विद्यार्थी उपस्थिति, शादी अनुदान, नई सड़क का निर्माण सहित अन्य योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक दशा में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति करना सुनिश्चित करें, जिससे जनपद की रैंक प्रथम स्थान पर रहें।

उन्होंने मण्डल में यूरिया उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति पर गहरी नाराजगी जताते हुए संयुक्त कृषि निदेशक आर0वी0 राम को निर्देश दिया कि नियमानुसार उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करें। बैठक का संचालन संयुक्त विकास आयुक्त कमलाकान्त पाण्डेय ने किया। बैठक में डीएम बस्ती रवीश गुप्ता, सिद्धार्थनगर राजा गणपति आर0, संतकबीरनगर आलोक कुमार, सीडीओ बस्ती सार्थक अग्रवाल, सिद्धार्थनगर बलराम सिंह, संतकबीरनगर जयकेश त्रिपाठी, तीनों जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी, उप निदेशक पंचायत समरजीत यादव, सहायक वन संरक्षक वी.पी. सिंह, अधिशासी अभियन्ता विद्युत रणजीत चौधरी, अधिशासी अभियन्ता जलनिगम महेन्द्र राम, जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव, भूमि संरक्षण अधिकारी डा0 राजमंगल चौधरी, डीएचओ अरूण कुमार त्रिपाठी, एलडीएम आर0एन0 मौर्या, पर्यटन अधिकारी विकास नारायण, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी ए.के. गुप्ता, वरिष्ट सहायक सुहेल अहमद सहित मण्डल स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कंपोजिट विद्यालय खुटहन में ओपेन जिम और झूले का उद्घाटन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नगर पंचायत नगर की अध्यक्ष नीलम सिंह राना ने गुरुवार को कंपोजिट विद्यालय खुटहन में ओपेन जिम और झूले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के पठन पाठन तथा खेल कूद की सुविधाएं बढ़ाने के लिए नगर पंचायत कटिबद्ध है। सभी परिषदीय विद्यालयों को संसाधन युक्त बनाया जाएगा।

श्रीमती राना ने कहा कि नगर पंचायत के दो विद्यालयों को मॉडल स्कूल बनाने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय की बाउंड्रीवाल, डिजिटल क्लास, और कमरों में टाइलीकरण का कार्य नगर पंचायत द्वारा पहले ही कराया जा चुका है। शीघ्र ही डिजिटल क्लास चलाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राना दिनेश प्रताप सिंह ने नगर को देश के राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में सभी से सहयोग की अपील किया। उन्होंने कहा कि अमर शहीद की धरती की सेवा का कार्य किसी पूजा से कम नहीं है। प्रधानाचार्य श्रीमती किरन पाण्डेय ने नगर पंचायत अध्यक्ष का आभार जताते हुए कहा कि हम सब मिलकर एक अच्छा शैक्षणिक माहौल बनाने में कामयाब होंगे। इस अवसर पर संतोष मिश्रा, श्यामली देवी, वीना श्रीवास्तव, कुमारी रीतिका, शतीश चंद्र मिश्र, देवेश धर द्विवेदी, प्रिंस ससौधन, मानस कुमार पाण्डे, जनक नंदिनी मिश्रा, चंद्र मणि विश्वकर्मा, राजेश मिश्रा, आदेश मिश्र, कन्हैया यादव, दिवाकर पाण्डेय, सुजीत मिश्रा, मुरलीधर गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

कट्टा दिखाकर उगाही मामले में मुकदमा दर्ज

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कट्टा दिखाकर 50 हजार रुपये मांगने, न देने पर गोली मार देने के धमकी मामले में कोतवाली पुलिस ने 21 अगस्त को पुलिस उप महानिरीक्षक के निर्देश पर दो युवकों के विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 308 (4) और 351 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

इस मामले में कलवारी थाना क्षेत्र के कुसौरा निवासी अशफाक अली ने पुलिस अधीक्षक और डीआईजी को प्रार्थना पत्र देकर अपने जान माल के रक्षा की गुहार लगाया था। तहरीर में अशफाक अली ने कहा है कि रविवार 11 अगस्त को लोहिया मार्केट ए–3 के सामने आदित्य नाम का एक व्यक्ति जीने पर खड़ा होकर सीने पर कट्टा तान दिया और कहने लगा कि अंकित भैया ने कहा था पैसा देने के लिये। तुम मुझे 50 हजार रुपये दे दो नहीं तो गोली मार देंगे। हम चार लोग हैं, चारों के पास कट्टा है। किसी को बताओगे तो जान से मार देंगे। तुम्हारे घर पर चढ़ कर गोली चलायेंगे। कुसौरा निवासी अशफाक अली ने पत्र में कहा था कि उसकी जान को खतरा है। कोतवाली पुलिस ने आदित्य, अंकित पाण्डेय पता अज्ञात और दो अन्य के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच कर रही है।

संस्कृत भाषा में समाहित है भारतीय सभ्यता, संस्कृति का ज्ञान विज्ञान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय सभ्यता व संस्कृति से जुड़ा अधिकांश ज्ञान विज्ञान,साहित्य संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। संस्कृत के संवर्द्धन हेतु शिक्षकों को संकल्पित होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। यह विचार जिला विद्यालय निरीक्षक जगदीश प्रसाद शुक्ल के हैं। श्री शुक्ल श्रीकृष्ण पाण्डेय इंटर कॉलेज बस्ती के सभाकक्ष में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के निर्देश पर आयोजित जनपदीय व मंडलीय संस्कृत–प्रतिभान्वेषण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित कर रहे थे।

जिला विद्यालय निरीक्षक श्री शुक्ल ने कहा कि संस्कृत छात्र छात्राओं के ज्ञानवर्धन के साथ साथ आजीविका का भी अच्छा साधन है। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन कर हुआ। विद्यालय के प्रबंधक अजय कुमार पाण्डेय व प्रधानाचार्य योगेश कुमार शुक्ल,मंडल संयोजक ब्रजेश कुमार पाण्डेय ने मुख्य अतिथि को उत्तरीय और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आयोजक प्रधानाचार्य व मंडल संयोजक ने प्रबंधक अजय कुमार पाण्डेय व उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ के प्रशिक्षक देवेश कुमार को उत्तरीय भेंट कर सम्मानित किया। वक्ताओं ने संस्कृत की महत्ता पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। संस्कृत के अधिकाधिक विस्तार के लिए प्रयास का संकल्प दोहराया। साथ ही ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन में हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया।

–जनपदीय , मण्डलीय संस्कृत– प्रतिभान्वेषण समारोह में विमर्श

जनपदीय संस्कृत गीत प्रतियोगिता में श्रीकृष्ण पाण्डेय इंटर कॉलेज की जया यादव प्रथम, रानी द्वितीय स्थान पर रहीं। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में रत्लेश गुप्ता ने प्रथम, दिव्या ने द्वितीय व अंजली ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। संतकबीरनगर की जनपदीय संस्कृत गीत प्रतियोगिता में आदर्श पाण्डेय प्रथम, सौरभ द्वितीय और आशुतोष पाण्डेय तृतीय स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में नीतीश त्रिपाठी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

मंडल स्तरीय श्लोकान्त्याक्षरी प्रतियोगिता में उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी की कृतिका ने प्रथम , सिद्धार्थनगर के अनूप मिश्रा ने द्वितीय तथा उमा पासवान ने तृतीय स्थान हासिल किया। शिवानी,आंचल, सुन्दरी, अंजली, अभिजीत, प्रज्ञा, बालकृष्ण, सुनयना और अनुष्का को विभिन्न प्रतियोगिताओं में सांत्वना पुरस्कार दिया गया।उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ से आए प्रशिक्षक देवेश कुमार, बृजेश कुमार पाण्डेय संतकबीरनगर के श्रवणमणि त्रिपाठी, कृष्ण कुमार,इन्द्रासन मिश्र,शिशिर मिश्र ने निर्णायक की भूमिका निभाई। समारोह में सौरभ मिश्र,ओमप्रकाश तिवारी, अश्वनी कुमार मिश्र,राम किंकर त्रिपाठी, ओमप्रकाश पाठक, देवेन्द्र तिवारी, सुनीता पाण्डेय, अन्नपूर्णा पाण्डेय,अजय कुमार,बलवीर , अमित कुमार,प्रियंका श्रीवास्तव, अनुराधा, रितु गुप्ता, प्रियंका त्रिपाठी, उमेशचंद्र श्रीवास्तव आदि शामिल रहे।

यूरिया खाद संकट सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर गरजे समाजवादी: राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । गुरुवार को समाजवादी पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने यूरिया संकट, वाल्टरगंज चीनी मिल शुरू किये जाने, वोट चोरी रोकने, गिरती कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने, बिजली विभाग में स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से लूट किये जाने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। समाजवादी पार्टी नेता सपा जिलाध्यक्ष एवं सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव के नेतृत्व में न्याय मार्ग पर एकत्र हुये और भाजपा सरकार विरोधी नारा लगाते हुये जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन सौपने के बाद सपा जिलाध्यक्ष एवं सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने कहा कि बस्ती समेत समूचे प्रदेश में यूरिया खाद का संकट है। जरूरत पर किसानों को यूरिया खाद दिल पाने में सरकार और प्रशासन असमर्थ है। इसका सीधा असर खाद्यान्न उत्पादन घटने और किसानों के आर्थिक सेहत पर पड़ेगा। कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है और उसी मानसिकता के कारण यूरिया खाद का संकट उत्पन्न किया जा रहा है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि वाल्टरगंज चीनी मिल शुरू कराकर मिल श्रमिकों और गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराने के साथ ही बिजली विभाग में स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से लूट को बंद कराया जाय। किसानों को सिंचाई के लिये नहरों में पानी छोड़ा जाय।

–भाजपा की सरकार में किसान, नौजवान सभी परेशान– महेन्द्रनाथ यादव

सपा विधायक राजेन्द्र चौधरी, कविन्द्र चौधरी 'अतुल', पूर्व विधायक राजमणि पाण्डेय, सपा नेता दयाशंकर मिश्र, जावेद पिण्डारी, मो. स्वाले, एबादुलहक, मो. सलीम, कौशलेन्द्र प्रताप सिंह, धीरसेन निषाद, समीर चौधरी, आर.डी. निषाद, निजामुद्दीन, राजेन्द्र चौधरी, अजीत सिंह, प्रवीण पाठक, गीता भारती, गुलाब सोनकर आदि ने कहा कि भाजपा की सरकार में गलत नीतियों के कारण किसान, नौजवान, व्यापारी के साथ ही हर वर्ग परेशान है। भाजपा मतदाता सूची में हेराफेरी कराकर चुनाव जीत लेना चाहिये। लोगों को आगे आकर ऐसे षड़यंत्रों का पर्दाफास करना होगा।

राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से रामशब्द यादव, मंशाराम कन्नौजिया, राकेश चौधरी, मधुबन यादव, प्रशान्त यादव, दिनेश तिवारी, तूफानी यादव, भोला पाण्डेय, राम वृक्ष यादव, अजय यादव, विपिन त्रिपाठी, अरविन्द सोनकर, जमील अहमद, सुरेन्द्र सिंह 'छोटे', हरीश, रजनीश यादव, गुलाम गौस, अखिलेश यादव, मो. हारिश, मो. सज्जू, शैलेन्द्र दूबे, यूनुस आलम, राहुल सोनकर, पंकज निषाद, प्रिया श्रीवास्तव, रागिनी देवी, राधा देवी, सावित्री सिंह, मुरली पाण्डेय, अमर अग्रहरि, गिरीश चन्द्र, रामचन्द्र के साथ ही बड़ी संख्या में सपा नेता, कार्यकर्ता शामिल रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 22 अगस्त 2025 शुक्रवार

सम्पादकीय

दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान हमला गंभीर और चिंताजनक घटना है। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में समूची सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर मुख्यमंत्री के कड़े सुरक्षा घेरे की परवाह किए बगैर कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत कर सकता है, तो आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा।

हालांकि, कहा जा रहा है कि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। मगर, सवाल यह है कि वह मुख्यमंत्री के इतने करीब कैसे पहुंच गया? सुरक्षाकर्मी उसके नापाक इरादों को पहले क्यों नहीं भांप पाए? यह कोई साजिश थी या फिर कुछ और, इसका पता तो जांच–पड़ताल के बाद ही चल पाएगा, लेकिन इस घटना को सुरक्षा में चूक की नजर से देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री पर हमला उस समय हुआ, जब वे सिविल लाइंस स्थित अपने कार्यालय में लोगों की शिकायतें सुन रही थीं। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने मुख्यमंत्री को पहले कुछ कागजात दिए और फिर अचानक उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उन्हें हाथ, कंधे और सिर में चोटें आई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। सुरक्षा के इतने मजबूत घेरे के बावजूद आरोपी मुख्यमंत्री के इतने करीब पहुंच गया कि हमला कर सके।

आरोपी गुजरात के राजकोट का निवासी है और पुलिस का दावा है कि उस पर पहले से पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें चाकू से हमले के दो और आबकारी अधिनियम के तहत तीन मामले शामिल हैं। यही नहीं, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी दो दिन पहले दिल्ली आया था और उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में रुका था। उसने हमले से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय परिसर की रेकी भी थी। सीसीटीवी फुटेज में इसके प्रमाण मिले हैं। यानी पुलिस का खुफिया तंत्र भी आरोपी की इन गतिविधियों का समय रहते पता लगाने में विफल रहा। इसे सुरक्षा में लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा।

इस घटना को दिल्ली–एनसीआर से आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में ले जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से भी जोड़ा जा रहा है। आरोपी की मां का दावा है कि उनका बेटा पशु प्रेमी है और वह कुत्तों से बहुत प्यार करता है। कुत्तों को आश्रय स्थलों में भेजने की प्रक्रिया से वह आहत था और अपना विरोध जताने के लिए दिल्ली आया था।

अब सवाल यह है कि कानूनी दायरे में रह कर विरोध जताने के कई तरीके हैं, फिर उसने मुख्यमंत्री पर हमले की वारदात को अंजाम क्यों दिया? क्या इसके पीछे कोई सोची–समझी साजिश थी, पुलिस इस पहलू से भी छानबीन कर रही है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि जिस तरह हमला किया गया, वह जानलेवा भी हो सकता था। इससे इस घटना की गंभीरता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ऐसे में यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि आखिर राजधानी में सुरक्षा इंतजामों में इतनी लापरवाही क्यों हो रही है। अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं रहा। उनके हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं? जब तक इसकी जड़ में नहीं जाएंगे, तब तक कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद धुंधली ही रहेगी।

टोल नाकेः सुविधा बनी समस्या

सुविधा ही जब समस्या बन जाए तो उसका निराकरण नितांत आवश्यक हो जाता है। मसला जब सार्वजनिक हित से जुड़ा हो तो उसका महत्त्व और भी गहरा हो जाता है। देश भर में टोल शुल्क की वसूली का मकसद आम लोगों के लिए सफर को आसान और सुगम बनाना बताया जाता है। मगर, लोगों को इन जगहों पर यदि घंटों जाम की समस्या से जूझना पड़े तो शुल्क वसूलने के औचित्य पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को पैंसठ किलोमीटर लंबे राजमार्ग को तय करने में बारह घंटे लगते हैं, तो उस यात्री को टोल शुल्क का भुगतान करने के लिए क्यों कहा जाए। यानी जिस दूरी को पार करने में तकरीबन एक घंटे का समय लगता हो, उसमें ग्यारह घंटे अतिरिक्त लग जाएं तो ऐसी सुविधा के नाम पर शुल्क की वसूली क्यों होनी चाहिए? यह मामला तो एक बानगी है, देश भर में न जाने कितने लोगों को रोजाना शुल्क का भुगतान करने के बावजूद इस तरह की समस्याओं से दो–चार होना पड़ता है। असल में जब किसी सड़क मार्ग पर टोल शुल्क की वसूली शुरू होती है तो यात्रियों को यह विश्वास होता है कि उनका सफर सुविधाजनक होगा।

मगर, सुचारु यातायात प्रवाह बनाए रखने में विफलता से जन विश्वास भी डगमगाने लगता है। नियमानुसार, जो कंपनी टोल शुल्क की वसूली करती है, संबंधित सड़क मार्ग की देखभाल और निर्बाध यातायात की व्यवस्था करना भी उसी की जिम्मेदारी होती है। शीर्ष अदालत पहुंचा संबंधित मामला केरल के त्रिशूर से जुड़ा हुआ है। उच्च न्यायालय ने छह अगस्त को राष्ट्रीय राजमार्ग 544 के एडापल्ली–मन्नुथी खंड की खराब स्थिति और निर्माण कार्यों के कारण लगने वाले यातायात जाम के आधार पर टोल शुल्क के निलंबन का आदेश दिया था।

दरअसल, उच्च न्यायालय ने कहा था कि जब राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है और यातायात जाम बहुत अधिक है, तो वाहन चालकों से टोल शुल्क नहीं वसूला जा सकता। हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से टोल शुल्क वसूली को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए हैं, जिनमें टोल नाके पर वाहन के रुकने की समय सीमा भी निर्धारित है।

यानी उस समय सीमा के भीतर ही किसी एक वाहन से शुल्क लेने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। मगर, ज्यादातर जगहों पर इन नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हो पाता है। यही वजह है कि आए दिन टोल नाकों पर यात्रियों और टोल कर्मियों के बीच विवाद एवं मारपीट की खबरें आती रहती हैं। रविवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौट रहे एक सैन्यकर्मी की कार टोल नाके की लंबी कतार में फंस गई और टोल कर्मचारियों से जाम हटाने को कहने पर उसके साथ मारपीट की गई।

यहीं नहीं, कई बार जल्दबाजी में या अन्य किसी वजह से ज्यादा शुल्क कट जाने पर संबंधित यात्री को शेष पैसे वापस लेने के लिए बैंक की जटिल प्रक्रिया से जूझना पड़ता है। टोल नाकों पर जाम की स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने फास्टैग की व्यवस्था भी लागू की है, इसके बावजूद कई जगह वाहनों की लंबी कतारें अक्सर देखी जा सकती हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि टोल वसूलने वाली जगहों और संबंधित कंपनियों के लिए नियमों को कड़ाई से लागू करे, ताकि यात्रियों के लिए सफर वास्तव में सुविधाजनक बन सके।

आवारा इंसान और जानवर दोनों खतरनाक

—अजय कुमार—

भारत का बहुसंख्यक समाज भावनात्मक रूप से काफी सीधा–साधा और प्रकृति तथा पशु प्रेमी माना जाता है। यहां इंसान से ज्यादा कभी–कभी जानवरों के प्रति करुणा और श्रद्धा दिखाई जाती है। सड़कों पर बैठी गायों को देखकर लोग हाथ जोड़ लेते हैं, कुत्तों को बिस्किट खिलाने पर लोग खुद को दयालु समझते हैं और सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाकर खुद को पशु प्रेमी साबित करते हैं। लेकिन इस चमकीली तस्वीर के पीछे एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि कई मौकों पर यह करुणा खोखली और जिम्मेदारी से बचने का बहाना नजर आती है। भारत की सड़कों पर घूमते लाखों आवारा जानवर इस बात के गवाह हैं कि भावनाओं के नाम पर इस सिर्फ नाटक कर रहे हैं, असल में न तो उनकी देखभाल करते हैं और न ही इंसानों की सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि चाहें आवारा इंसान हो या आवारा जानवर दोनों ही समाज के लिये बड़ा खतरा हैं। ऐसे लोगों से बच के रहने में ही समाज का भला है।

जरा कल्पना कीजिए, ट्रैफिक जाम के बीच कीचड़ और धूल में सनी एक गाय प्लास्टिक की थैली चबा रही है। लोग उसे देखकर आगे निकल जाते हैं। कोई यह नहीं सोचता कि जिस थैले को वह खा रही है, उसको सड़क पर फेंकने के लिये हम ही जिम्मेदार हैं। वही थैली उसकी मौत का कारण तक बन जाती है। उसी सड़क पर कुछ ही दूरी पर दर्जनों कुत्ते कूड़े में पड़ी हड्डियों को लेकर लड़ रहे हैं। इंसान का फेंका हुआ कचरा उनके लिए जीवन का सहारा बनता है। यही तस्वीरें बाद में किसी दयालु शहरी के मोबाइल कैमरे से सोशल मीडिया पर पहुंचती हैं, लेकिन असल जिंदगी में वही लोग ऐसे जानवरों को मरने–जीने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं। 2019 की पशु गणना के अनुसार, भारत में करीब 50 लाख आवारा गायें हैं। यह संख्या किसी बाहरी संकट की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी लापरवाही से है। करीब 95 प्रतिशत गायें वे हैं जिन्हें डेयरी किसान दूध न देने की स्थिति में खुला छोड़ देते हैं। उनका तर्क यह है कि अगर वे इन्हें पालेंगे तो चारे का खर्च बढ़ेगा, इसलिए उन्हें शहर की सड़कों पर घूमने दिया जाता है जहां वे कूड़े में मुंह मारें और प्लास्टिक खाकर धीरे–धीरे बीमार पड़ जाएं। गायों के पेट प्लास्टिक से भर जाते हैं, उनकी आंतें खराब हो जाती हैं और सड़कें गोबर से पट जाती हैं। लेकिन जिम्मेदारी कौन ले? गाय तो सबकी मां है, तो कोई न कोई उसकी देखभाल कर ही लेगा यही सोच सबके मन में रहती है और समस्या जस की तस बनी रहती है।

गायों की तरह ही कुत्तों की समस्या और भी भयावह है। भारत दुनिया का वह देश है जहां सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते हैं करीब 6 करोड़। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की 1.4 अरब आबादी में हर 23वां इंसान एक आवारा कुत्ते के साथ बंधा हुआ है। यह आंकड़ा सुनने में भले ही दिलचस्प लगे लेकिन इसके दुष्परिणाम बेहद खतरनाक हैं। हर साल भारत में करीब 37 लाख लोग कुत्तों के काटने का शिकार होते हैं। दुनिया में रेबीज से होने वाली कुल मौतों में 36 प्रतिशत अकेले भारत में होती हैं। यह भीषण आंकड़ा बताता है कि हमारी करुणा जानलेवा साबित हो रही है। हाल ही में सिर्फ दिल्ली में ही 2025 के मध्य तक 35,000 से ज्यादा कुत्ता काटने की घटनाएं और करीब 50 मौतें दर्ज की गईं। यानी यह समस्या अब केवल जानवरों की नहीं रही, यह सीधे इंसानों के जीवन के लिए खतरा बन चुकी है।संभवता इसी सब को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिये सख्त आदेश जारी किया है। लेकिन इस खतरे को भांप लेने के बावजूद हमारे समाज और सरकार का रवैया ढुलमुल ही है। राजनेता गाय को वोट का साधन बना देते हैं, नगरपालिकाएं पशु नियंत्रण को गड्ढे भरने जैसे छोटे–मोटे काम की तरह लेती हैं, और शहरी अभिजात्य वर्ग कुत्तों की रील बनाकर सोशल मीडिया पर वाहवाही लूट लेता है। इस पूरे खेल में कहीं भी जिम्मेदारी नजर नहीं आती। यही कारण है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली के दस लाख कुत्तों को कहीं और शिफ्ट करने की योजना बनाई तो देश भर में आक्रोश फैल गया। लोगों ने इसे नरसंहार करार दिया। निश्चित ही कुत्तों के जीवन का अधिकार है और उन्हें अमानवीय आश्रयों में डालना सही नहीं, लेकिन सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान कौन देगा? क्या सिर्फ गुस्सा दिखाकर या मोमबत्ती जलाकर समस्या खत्म हो जाएगी?

कुत्तों की आबादी का गणित डरावना है। एक असंक्रमित मादा कुत्ता, अगर लगातार छह साल तक बच्चे पैदा करे, तो उससे सैकड़ों पिल्ले पैदा हो सकते हैं। यानी अगर अभी कदम न उठाया गया तो आने वाले वर्षों में भारत की सड़कें कुत्तों से भर जाएंगी। इसे रोकने का उपाय केवल संगठित नसबंदी और टीकाकरण अभियान ही है। हमें यह समझना होगा कि यह उतना ही जरूरी है जितना कभी पोलियो का उन्मूलन था। जब पोलियो को खत्म किया जा सकता है तो आवारा पशुओं की समस्या भी सुलझाई जा सकती है, बशर्ते कि नीतियों में कठोरता और जवाबदेही दोनों हों। समाधान की बात करें तो गायों के लिए जरूरी है कि हर मवेशी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो। अगर कोई किसान उन्हें सड़क पर छोड़ता है तो उस पर जुर्माना लगे और गाय जब्त हो। सब्सिडी वाली गौशालाओं को डिजिटल ट्रैकिंग से जोड़ा जाए और उन्हें फंडिंग सीधे उस आधार पर मिले कि कितनी गायों की देखभाल वे कर रहे हैं। यह पैसा किसी राजनेता की जेब में नहीं जाना चाहिए, बल्कि सीधे उस गौशाला में पहुंचे। इसी तरह कुत्तों के लिए सामूहिक नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करना होगा। हर जिले में कुत्ता नियंत्रण बोर्ड बने जिसका वार्षिक ऑडिट हो और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो।

इसके लिए धन कहां से आएगा? सवाल वाजिब है लेकिन उसका जवाब भी उतना ही आसान। जब मूर्तियों, रैलियों और चुनावी वादों पर अरबों रुपये खर्च किए जा सकते हैं तो जानवरों और इंसानों की सुरक्षा पर क्यों नहीं? हर परिवार से छोटा–सा डॉग टैक्स लिया जा सकता है, सांसद निधि और विधायक निधि का एक हिस्सा इस दिशा में खर्च किया जा सकता है, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के जरिए धन जुटाया जा सकता है। इस अभियान पर जो पैसा आज खर्च करेंगे, वह भविष्य में हजारों–लाखों समस्याओं से बचाएगा।जयपुर मॉडल इसका सफल उदाहरण है। 1994 में नगर निगम और एक एनजीओ ने मिलकर इसे शुरू किया था। इसमें कुत्तों को पकड़ा जाता है, उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाता है और फिर उन्हें छोड़ा जाता है। इससे कुत्तों की आबादी नियंत्रित होती है और रेबीज के मामले घटते हैं। प्रति कुत्ते पर 800 से 2,200 रुपये का खर्च आता है जो नगर निगम और जनता की ओर से दिए गए दान से पूरा होता है। अगर यही मॉडल पूरे देश में अपनाया जाए, डिजिटल ट्रैकिंग से जोड़ा जाए और इसे महापौरों व जिला कलेक्टरों की प्रदर्शन रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाए, तो समस्या पर काबू पाया जा सकता है।

स्कूल–कॉलेजों के आसपास मंडराते रोमियों

—संजय सक्सेना—

सोचिए, एक कॉलेज स्टूडेंट रोजाना घर से निकलती है, लेकिन मन में डर रहता है ? क्या आज सुरक्षित पहुंचूंगी? ये डर इन रोमियो की वजह से है, जो खुद को हीरो समझते हैं लेकिन असल में विलेन हैं। समाज को इनसे घृणा करनी चाहिए। माता–पिता, शिक्षक, और युवा सबको मिलकर इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालते के बाद उनके सख्त तेवरों से रोमियों(मनचलों) की शामत आ गई थी,लेकिन योगी के तेवर ढीले पड़ते ही यूपी में फिर वही पुरानी बीमारी लौट आई है। एंटी–रोमियो स्क्वॉड की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन दुष्टों पर नकेल कसी थी। लेकिन अब, 2025 में, जैसे ही सरकार के तेवर थोड़े ढीले पड़े, स्कूल और कॉलेजों के बाहर मनचले फिर मंडराने लगे हैं। पुलिस की गश्त गायब है, और स्कूल–कॉलेज जाती लड़कियां रोजाना छेड़छाड़ का शिकार हो रही हैं। यह न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि एक खुली चुनौती है उस सिस्टम को जो महिलाओं की इज्जत की रक्षा करने का दावा करता है। इन रोमियो बनने वाले गुंडों को अब सख्त सबक सिखाने का वक्त आ गया है, नहीं तो यह समाज की बेटियों को और कितना सहन करवाएगा?

कल्पना कीजिए, जब एक 16 साल की स्कूली लड़की, किताबें थामे घर से निकलती है,तो वह कितनी सहमी रहती होगी। क्योंकि रास्ते में अथवा स्कूल गेट के बाहर, कॉलेज कैंपस के पास हर जगह उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले मनचले घात लगाए स्कूटी पर बैठे या गुट बनाकर खड़े नजर आ जाते हैं। फब्तियां कसना, सीटी मारना, पीछा करना, या हाथ लगाने की कोशिश, ये सब अब रोजमर्रा की बात हो गई है। जुलाई 2025 में ऊन्नाव जिले में एक स्कूली लड़की ने तंग आकर खुद ही आरोपी को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ जड़ दिए। वीडियो वायरल हुआ, लेकिन क्या इससे समस्या हल हो गई? नहीं! यह तो सिर्फ एक उदाहरण है कि बेटियां अब खुद अपनी रक्षा करने को मजबूर हैं, क्योंकि पुलिस कहां है? 2023 में अंबेडकर नगर में एक साइकिल चलाती लड़की की छेड़छाड़ के कारण मौत हो गई थी, लेकिन 2025 में भी स्थिति जस की तस है। ये मनचले कौन हैं? ये वही कमजोर दिमाग वाले कायर हैं जो महिलाओं को कमजोर समझकर अपनी मर्दानगी दिखाते हैं। लेकिन हकीकत में ये समाज के कीड़े हैं, जो बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं।

एंटी–रोमियो स्क्वॉड का क्या हुआ? 2017 से 2025 तक इस स्क्वॉड ने 1.4 करोड़ लोगों को चेतावनी दी, 32,077 पर चालान काटे और केस दर्ज किए। मार्च 2025 में डीजीपी ने बताया कि 24,000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। लेकिन अब? अगस्त 2024 में स्क्वॉड को फिर से एक्टिवेट करने के आदेश दिए गए थे, मुख्यमंत्री योगी ने महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया था। मई 2025 में लखनऊ में इसे श्महिला सुरक्षा टीमश नाम दिया गया। फिर भी, जमीनी हकीकत अलग है। फरवरी 2025 में रिपोर्ट्स आईं कि 2022 चुनावों से पहले आलोचना के कारण स्क्वॉड को स्केल बैक कर दिया गया था। अब पुलिस स्कूल–कॉलेजों के बाहर नजर नहीं आती। मनचले बेखौफ हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सजा का डर कम हो गया है। यह ढीलापन नहीं, अपराध को बढ़ावा देना है!

ये रोमियो बनने वाले शैतान सिर्फ छेड़छाड़ नहीं करते, वे महिलाओं की आजादी छीनते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 90 प्रतिशत महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर छेड़छाड़ का शिकार होती हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां बेटियां शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं, ये घटनाएं उन्हें घर बैठाने पर मजबूर कर देती हैं। याद कीजिए 2017 को, जब एंटी–रोमियो स्क्वॉड ने शुरुआत की थी, तब मनचलों में खौफ था। लेकिन अब? ये स्क्वॉड कभी–कभी मोरल पुलिसिंग में बदल गए, कभी प्राइवेसी का उल्लंघन करने लगे, लेकिन मूल मकसद तो महिलाओं की सुरक्षा था। आज जरूरत है सख्ती की, न कि नाम बदलने की। लखनऊ से लेकर उन्नाव तक, हर जिले में पुलिस को 24•7 गश्त करनी चाहिए। इन मनचलों को पकड़कर ऐसी सजा दो कि वे जिंदगी भर याद रखें। कानून तो है, आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करना), लेकिन अमल कहां?

सोचिए, एक कॉलेज स्टूडेंट रोजाना घर से निकलती है, लेकिन मन में डर रहता है ? क्या आज सुरक्षित पहुंचूंगी? ये डर इन रोमियो की वजह से है, जो खुद को हीरो समझते हैं लेकिन असल में विलेन हैं। समाज को इनसे घृणा करनी चाहिए। माता–पिता, शिक्षक, और युवा सबको मिलकर इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। सरकार से मांग है वह एंटी–रोमियो स्क्वॉड को फिर से पूरी तरह से एक्टिव करे, पुलिस को ट्रेनिंग दी जाये और स्कूल कॉलेजों के बाहर और आसपास सीसीटीवी लगाये जायें। ये मनचले समाज के दुश्मन हैं, इन्हें कुचलना जरूरी तो इन दुष्टों को बख्शना अपराध है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने अधिकारियों के पेंच कसना होगा, वह फिर से सख्त तेवर दिखाएंगे तभी हमारी बच्चियों को घर के बाहर सुरक्षा मिलेगी, नहीं तो ये रोमियो राज्य को बदनाम कर देंगे। महिलाओं की सुरक्षा कोई चुनावी वादा नहीं, बुनियादी हक है। आखिर कब तक बेटियां सहेंगी? अब वक्त है आक्रमक कार्रवाई का, इन रोमियो को जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है!

अशिक्षा जनित अंधविश्वास और समाज

—संजीव ठाकुर—

आश्चर्य की बात है कि आज के प्रगतिशील वैज्ञानिक युग में विज्ञान और टेक्नोलॉजी से शिक्षित जनमानस भी अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का अंधभक्त या अनुयाई हो गया है। मकान में वास्तु दोष दूर करने के लिए अनावश्यक तोड़फोड़ और सुधार के लिए लाखों खर्च किए जाते हैं। यह अंधविश्वास का एक जीता जागता प्रमाण है। वास्तु दोष तथा अंधविश्वास को मानने वाले 90ः शिक्षित युवा इस मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। अशिक्षा और अज्ञानता ने अंधविश्वास तथा धार्मिक कट्टरता को भारत में फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। इस वैज्ञानिक युग में अत्यंत शिक्षित एवं पढ़े–लिखे लोग भी अंधविश्वास तथा धार्मिक कट्टरता के पीछे भागने लगे तो यह समाज और देश के लिए दुर्भाग्य की बात हैस यह तो तय है की शिक्षा, ज्ञान अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर के विवेकपूर्ण विचारों को सोचने की शक्ति प्रदान करता है और इसके पश्चात ही मनुष्य वैज्ञानिक आधार पर तर्क रखकर अपनी बात को मानना शुरू करता है। पूर्व में हम मानते थे कि पृथ्वी चपटी है किंतु वैज्ञानिक प्रयोगों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार यह सिद्ध हो गया कि पृथ्वी गोल है अब लोगों ने लॉजिक और वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर यह मान लिया है की पृथ्वी गोल ही है।

शहीद भगत सिंह ने आजादी के लिए एक संगठन नौजवान भारत सभा का गठन किया और उसके घोषणा पत्र में कहा था कि धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरता हमारी प्रगति के बहुत बड़े बाधक है, वह हमारे रास्ते की बाधा साबित हुए हैं उनसे हमें हर हाल में छुटकारा पा लेना चाहिए जोकि आजाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे समाप्त हो जाना चाहिए इसी प्रकार अन्य बहुत सारी कमजोरियां भी हैं जिन पर हमें विजय प्राप्त करना होगा ,इस कार्य के लिए सभी समुदाय के क्रांतिकारी उत्साह रखने वाले नई सोच के नौजवानों की आवश्यकता हैस उन्होंने बिल्कुल सही कहा था क्योंकि युवा शक्ति ही देश में नए विचारों की क्रांति ला सकती और अंधविश्वास को समूल नष्ट करने में इनकी ऊर्जा इस कार्य के लिए लगाई जा सकती है,पर दूसरी तरफ शिक्षा का प्रचार प्रसार होना भी नितांत आवश्यक हैस शिक्षा ही ऐसा मूल मंत्र है जिससे अंधविश्वास एवं आडंबर की पोल खोली जा सकती शिक्षा से हमारा तात्पर्य विज्ञान से भी है विज्ञान ने अनेक अंधविश्वास को जन सूचियों में अविश्वास के रूप में में स्थापित किया है और शिक्षा तथा विज्ञान तकनीकी ऐसे मार्ग है जिन से चलकर हम न सिर्फ चांद पर पहुंचे हैं बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरी दुनिया एक परिवार की तरह एक दूसरे के एकदम करीब आ चुकी है ऐसे में अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता एवं संप्रदायवाद की जगह कहाँ बच जाती है भला ? शिक्षा का स्तर ईतना ऊंचा हो जाना चाहिए की इन अंधविश्वासी बातों और मिथकों का अस्तित्व ही मूल रूप से विस्मृत किया जाना चाहिएस बिल्ली के रास्ता काटने से काम रुक जाता है,किसी की छींक देने से अशुभ संकेत स्थापित होने लगते हैं यदि कौवा बोलता है तो मेहमान आने का संकेत माना जाना इन सब बातों की कोई तार्किक अथवा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि नहीं है और जनमानस द्वारा अपने दिमाग का प्रयोग कर ऐसी अतार्किक और वैज्ञानिक बातों में विश्वास करना भी अंधविश्वास को सामाजिक स्तर पर मान्यता प्रदान करता है। यह भी अशिक्षा का एक बहुत बड़ा परिणाम है। शिक्षा विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान समाज में तर्कसंगत बातों का विश्वास करने पर भरोसा दिलाता है और धीरे धीरे अंधविश्वास तथा धार्मिक कट्टरता से मनुष्य को परे ले जाता है। मूलतः अंधविश्वास को दूर करने के लिए हमें शिक्षा जैसे अस्त्र का इस्तेमाल तीव्र गति से किया जाना चाहिए। अंधविश्वास, तंत्र मंत्र के अधीन होकर पशुओं की बलि देना भी एक प्रकार से अंधविश्वास को बढ़ावा देना ही है, तंत्र मंत्र के विश्वास में आकर मानव न केवल पशुओं की बलि देते बल्कि बच्चों की बलि देने से भी नहीं परहेज करता है। समाज में व्याप्त अंधविश्वास तथा कट्टरपंथ का लाभ समाज के कुछ चालबाज तथा धोखेबाज लोग उठाते हैं और यही लोग इन अंधविश्वासी लोगों को भूत, प्रेत ,राहु केतु,काल सर्प दोष इत्यादि का भय दिखाकर पूजा पाठ तंत्र मंत्र के नाम से हजारों रुपए लूट लेते हैं। यह सिर्फ गांव में ही नहीं हो रहा है यह शहरों में भी बुरी तरह व्याप्त है तंत्र मंत्र तथा भूत प्रेत से छुटकारा भारत के कस्बों तथा गांव में एक व्यवसाय के रूप में विकसित हो गया है जो देश के लिए एक बड़ी विसंगति और विडंबना है। ऐसे तंत्र मंत्र और भविष्य के दर्शन कराने वाले तांत्रिकों का विज्ञापन न सिर्फ बड़े–बड़े अखबारों में बल्कि स्थापित टीवी चैनलों में भी खुल कर दिया जाता है जिससे न सिर्फ अनपढ़, अंधविश्वासी बल्कि शिक्षित लोग भी झांसे में आकर बड़ी धनराशि से हाथ धो बैठते हैं। विकसित यूरोपीय देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, इजरायल तथा अन्य देशों में भी अंधविश्वास व्याप्त है किंतु भारत में अशिक्षा के कारण इसकी जड़ें थोड़ी गहरी व्याप्त हैं। शिक्षा के प्रचार–प्रसार तथा मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अंधविश्वास को जनमानस तथा देर से दूर किया जा सकता है किंतु मूल रूप से प्राथमिक शिक्षा को एक सशक्त माध्यम रखकर अंधविश्वास एवं धार्मिक कट्टरता के विरोध में बातें रखी जाए तो देश एक अंधविश्वास मुक्त राष्ट्र बन सकता है।

भाई का मर्डर करवाया, भाभी को पत्नी बनाया, बीवी और 3 बेटियों की हत्या में सामने आया घिनौना सच

संवाददाता–बहराइच। जिले में मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक ने अपनी पत्नी और तीन बेटियों को शारदा नदी में फेंककर हत्या महज कुछ बीघे जमीन और हत्या की चश्मदीद होने की वजह से कर दी। भाई की हत्या के बाद भाभी को पत्नी बना लिया था। वह चाहता था कि भाई की हत्या में पत्नी गवाही न दे। आरोपी पुलिस को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। 14 अगस्त को हुई घटना का खुलासा पुलिस ने किया तो आरोपी ने निर्ममता की सारी हदें तोड़ने की जानकारी मिली। सच सामने आ गया है। दरअसल थाना मोतीपुर पुलिस को रमपता पत्नी राम कैलाश निवासी चौधरीगांव थाना मोतीपुर ने सूचना दी कि उसकी बेटी सुमन और सुमन की तीन बेटियां नन्दिनी(11) अंशिका(6) लाडो(3) को उसका पति अनिरुद्ध लेकर चला गया है। वह उसकी हत्या कर सकता है। इस पर पुलिस सक्रिय हुई और अनिरुद्ध को पकड़ा। उसने कबूलनामा में कहा कि दोस्त के साथ मिलकर चारों को शारदा नदी में फेंक दिया है। इस हत्याकांड के पीछे पुलिस को जो जानकारी मिली उसके तहत वर्ष 2018 में आरोपी ने अपने बड़े भाई संतोष की हत्या करवा दी थी। उस हत्याकांड में भाभी सुमन चश्मदीद गवाह थी। जेल से छूटने के बाद अनिरुद्ध अपनी भाभी पर दबाव डालकर पति की तरह रहने लगा और उससे दो बेटियां भी पैदा हुई। पुलिस का भी कहना है कि विधवा भाभी को डरा धमकाकर उसके साथ पति की तरह रहता था। अनिरुद्ध भाभी से बनी पत्नी सुमन पर गवाही नहीं देने का दबाव बना रहा था। उसकी पत्नी इसके लिए तैयार नहीं थी। इसे लेकर दोनों में विवाद भी होता था। नाराज होकर पत्नी मायके चली गई थी। अनिरुद्ध चौधरीगांव पहुंचा और वहां से अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर चला आया। मिहींपुरवा कस्बे से वह लखीमपुर के लिए निकला वहीं शारदा नदी पुलिस से चारों को फेंक दिया। झाड़ियों में बच्चियों और पत्नी के कपड़े बरामद हुए है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि उसके कबूलनामे के आधार पर कुछ इलेक्ट्रानिक सुबूत भी हाथ लगे हैं जिससे चारों के कत्ल की पुष्टि हो रही है। लाशें अभी नहीं मिल सकी है उसकी तलाश की जा जा रही है। साथी अभियुक्त का नाम व पता पुलिस को आरोपी ने बताया है उस आधार पर छोपेमारी की जा रही है। उसे जल्द की पकड़ा जाएगा।

रात में प्रेमी के साथ सो रही थी भाभी, ननद पहुंची तो आशिक ने उस पर धावा बोल दिया

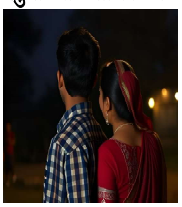

संवाददाता–गोण्डा। जिले में वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रात को भाभी अपने प्रेमी के साथ बिस्तर पर थी। इस बीच महिला की ननद पहुंच गई। उसने दोनों को रोमांस करते हुए आपत्तिजनक हालात में देख लिया। इस पर प्रेमी युवक आपा खो बैठा। युवक ने शादीशुदा प्रेमिका की नाबालिग ननद की पिटाई करने के बाद दांत से काटकर उसे घायल कर दिया। इसके बाद प्रेमी और भाभी दोनों फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। पीड़िता ननद के मुताबिक, भाभी का उसके भाई के साले से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह उसके घर मिलने आता रहता था। भाभी अपने प्रेमी से चोरी चुपके मिलती थी। सोमवार की रात में भाभी और प्रेमी दोनों कमरे में मिल रहे थे। ननद मौके पर ही पहुंच गई। उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इससे नाराज प्रेमी ने ननद के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर दांत के काटकर उसे जख्मी कर दिया। इसके बाद वह अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता ननद पुलिस के पास पहुंची। उसने पुलिस को पूरी बात बताई। इसके बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि मामले में शिकाय मिली है। घायल किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। बस्ती निवासी आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पोखरे में मिला युवक का शव

संवाददाता–महराजगंज। मिठौरा क्षेत्र के ग्राम सभा टीकर में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। टीकर निवासी इस्माईल के 22 वर्षीय पुत्र वशीउल्लाह का शव गुरुवार सुबह गांव के एक पोखरे में मिला। वशीउल्लाह बुधवार शाम को भोजन करने के बाद टहलने के लिए निकला था। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की। थक हार कर परिजन सो गए। अगली सुबह कुछ ग्रामीणों ने घर से करीब 50 मीटर उत्तर दिशा में स्थित पोखरे में शव को तैरते देखा। ग्रामीणों के शोर मचाने पर लोग एकत्र हुए और शव को पोखरे से बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही चौक पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उपनिरीक्षक चंद्रप्रकाश झा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सड़क हादसे मे युवक की मौत

संवाददाता–महराजगंज। श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के परतावल–पनियरा मार्ग पर खालिद मिल्ली स्कूल के पास गुरुवार सुबह 5 बजे सड़क हादसा हुआ। मिनी पिकअप और बाइक की आमने–सामने की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। टक्कर के बाद पिकअप वाहन गड्ढे में पलट गया। मृतक की पहचान लक्ष्मीपुर जरलहिया निवासी अजय साहनी (25) के रूप में हुई। वह सुपर स्प्लेंडर बाइक से हरपुर से परतावल जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही टाटा मिनी पिकअप से टक्कर हो गई। अजय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अजय अपने परिवार में दो भाई और दो बहनों में सबसे छोटे थे। परतावल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फरार पिकअप चालक की तलाश कर रही है।

प्रशासन की छापेमारी में ५० बोरी यूरिया बरामद, एक गिरफ्तार

संवाददाता–महराजगंज। नौतनवा थाना क्षेत्र के इंडो–नेपाल बॉर्डर के गांव में खाद भंडारण की सूचना पर प्रशासन ने छापेमारी की। गांव के एक घर में रखी गई 50 बोरी यूरिया बरामद हुई। इस छापेमारी से सीमाई क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। एसडीएम नौतनवा नवीन प्रसाद व नायब तहसीलदार सौरभ कुमार श्रीवास्तव को सूचना मिली कि बार्डर क्षेत्र में तस्करी के लिए यूरिया डंप की गई है। इस पर प्रशासनिक टीम ने ग्राम पंचायत हरदी डाली के सुंडी के एक घर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 50 बोरी यूरिया बरामद हुई और एक युवक मिथलेश यादव को टीम ने पकड़ लिया। प्रशासनिक टीम ने पकड़ी गई यूरिया व युवक को आगे की कार्रवाई के लिए नौतनवा पुलिस को सौंप दी है। एसडीएम ने बताया कि छापेमारी में बरामद यूरिया को सीज कर नौतनवा पुलिस को सौंपा जा रहा है। छापेमारी टीम में एसएसबी 66वीं वाहिनी के इंस्पेक्टर अविनाश कुमार, नौतनवा थाना प्रभारी पुरुषोत्तम राव, कस्टम इंस्पेक्टर शीतेष यादव, लक्ष्मी शंकर यादव, हिमांशु सिंह, सहायक उप निरीक्षक सुभाष चन्द्र, सिराज अहमद, अनिल कुमार भारतीय आदि शामिल रहे।

साइबर क्राइम के प्रति किया गया जागरूक

संवाददाता–महराजगंज। परमेश्वर सिंह मेमोरियल पीजी कॉलेज में साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फिल्म डायरेक्टर रवि चौधरी ने डिजिटल जहर साइबर क्राइम पर आधारित फिल्म का प्रमोशन किया। उन्होंने बताया कि बच्चों तक इंटरनेट की आसान पहुंच साइबर क्राइम बढ़ने का प्रमुख कारण है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अशोक भारतीय ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध में कंप्यूटर, नेटवर्क या अन्य डिजिटल उपकरणों का दुरुपयोग शामिल है। साइबर क्राइम थाना निरीक्षक सजनू यादव ने सतर्कता और जागरूकता पर जोर दिया।

बच्चों की प्रतिभा को मिला सम्मान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। प्राथमिक विद्यालय मरहा में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति गीत, कविताएं और नृत्य प्रस्तुत कर वातावरण को देशभक्ति की भावना से सराबोर कर दिया था।

पुरस्कार वितरण समारोह में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अखिल कुमार यादव ने विजेताओं व प्रतिभागियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा बच्चों की प्रतिभा को सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। उनकी उपलब्धियां न केवल उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं, बल्कि पूरे ग्राम का मान भी बढ़ाती हैं। उनकी मेहनत और लगन हम सबके लिए प्रेरणा है।" बच्चों को जिन श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया, वे हैं, स्वतंत्रता दिवस (सांस्कृतिक कार्यक्रम), हैंडराइटिंग, स्वच्छता, सर्वश्रेष्ठ ड्रेस, रक्षाबंधन पर सर्वश्रेष्ठ रक्षा सूत्र तथा विद्यालय में बेहतर उपस्थिति।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सत्येंद्र कुमार सहाय, शिक्षिकाएं संगीता यादव एवं सुषमा सिंह, पंचायत कर्मी मोनिका, संगीता, राम पूजन भारती और राम सुंदर सिंह उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत के कई गणमान्य नागरिकों ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। समापन पर प्रधानाध्यापक ने कहा कि "बच्चों की यह प्रतिभा भविष्य में उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। विद्यालय सदैव उनके प्रोत्साहन के लिए तत्पर रहेगा।"

एफएलएन प्रशिक्षण में शिक्षक सीख रहे सरल तकनीक

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

पौली (संतकबीर नगर)। पौली विकास क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय शनिचरा बाजार के समागाह में एफएलएन (फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी) प्रशिक्षण प्रथम बैच के तीसरे दिवस के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ शिक्षको ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर किया। शिक्षक अमित सिंह व दीपक यादव ने प्रतिवेदन व अभियान गीत प्रस्तुत किया।

संदर्भदाता एआरपी रुदल प्रसाद, हरीराम यादव, दिलीप कुमार, अमरजीत यादव ने प्रिंट रिच सामग्री का उपयोग, उत्साहवर्धक गतिविधि, गणित अवधारणा, जोड व घटाव सरलता से सीखने की विधि के बारे में विस्तार से बताया गया। एसआरजी संजय द्विवेदी व भाष्कर त्रिपाठी ने शिक्षको से अब तक प्राप्त प्रशिक्षण के बारे में जानकारी लेते हुए रोचक गतिविधि के साथ बच्चो को पढाने के सरल विधि बताएं। शिक्षक राममोहन शुक्ला, इरशाद अहमद, नित्यानंद त्रिपाठी, राजकुमार यादव व पराग सिंह ने टीएलएम द्वारा जोड व घटाव की संक्रिया के प्रभावी शिक्षण विधि का प्रदर्शन किये।

प्रशिक्षण में विपिन कुमार, दीपक यादव, गंगेश चतुर्वेदी, संदीप सिंह, आशीष त्रिपाठी,उमाशंकर, राजेश विश्वकर्मा, राजन सिंह, कामिनी, माया सिंह, सरोज यादव, पुष्पा पांडेय, इंद्रावती, सत्यभामा, वर्तिका यादव, किरनबाला सहित तमाम शिक्षक व शिक्षा मित्र उपस्थित रहे।

मिलावटी मिठाई बेचने पर दुकानदार पर लगा जुर्माना

संवाददाता–देवरिया। नोनापार चौराहे पर एक मिठाई की दुकान पर जांच के दौरान मिलावट की पुष्टि होने पर न्यायालय ने जुर्माना लगाया है। एडीएम प्रशासन के न्यायालय से जारी हुए आदेश में दुकानदार से वसूली का आदेश पारित किया गया है।

कार्यालय नगर पंचायत चौक,जनपद-महराजगंज

मा. नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार
मा. पंकज चौधरी, केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री/सासद– महराजगंज
मा. दयाशंकर मिश्र दयालु, आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) उ.प्र. सरकार
मा. अरविंद कुमार शर्मा, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री उ.प्र. सरकार
मा. जयमंगल कनौजिया, विधायक सदर महराजगंज
मा. योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उ.प्र.

15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं नगर पंचायत चौक आप सभी सम्मानित नागरिकों से निम्न अपेक्षा करती है :-

संतोष कुमार शर्मा
जिलाधिकारी

- प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग कदापि न करें।
- कूड़े को नालियों में एवं रास्तों में न फेकें।
- खुले में शौच कदापि न करें।
- सार्वजनिक भूमि एवं सड़कों पटरियों एवं नालियों आदि पर अतिक्रमण न करें।
- अपने घरों का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले।
- अपने नगर को साफ-सुथरा एवं स्वच्छ रखनें में सहयोग करें।

15 August

स्वच्छ रहेगा नगर, स्वच्छ रहेंगे हम

SAY NO TO PLASTIC

डा. प्रशांत कुमार
अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)
महराजगंज

ओमप्रकाश
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत चौक

श्रीमती संगीता देवी
अध्यक्ष
नगर पंचायत चौक

सम्मानित सभासदगण

1. श्रीमती रंजू देवी, 2. श्री नरोत्तम प्रसाद, 3. श्री गोबर्धन प्रसाद, 4. श्री त्रिभुवन गुप्ता, 5. श्री हरीलाल भारती, 6. श्रीमती रीना पाण्डेय, 7. श्री श्रीराम गुप्ता, 8. श्रीमती प्रियंका वर्मा, 9. श्री अजय कुमार मद्धेशिया, 10. श्री हरीकेश पटेल, 11. श्रीमती उर्मिला, 12. श्री आशीष साहनी, 13. श्री विजय मद्धेशिया, 14. श्रीमती नेहा यादव, 15. श्री पवन कुमार वर्मा

पत्रांक: 520/न.पं.चौक/2025-26 दिनांक 18.8.2025

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान प्रथम अति० सिविल जज (जू०डि०) बस्ती
जिला–बस्ती
वाद सं०–105/2024
रामलाल यादव
बनाम
रामदयाल
1. रामदयाल वर्मा पुत्र स्व० ठाकुर प्रसाद वर्मा साकिन मटिहनिया तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला–बस्ती
तारीख पेशी 24–09–2025
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 24 माह 09 सन 2025 ई० बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाफिक किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सरश्ता हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्ताई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई० जारी किया गया।
–द० हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान ग्राम न्यायालय हर्रैया जिला–बस्ती
वाद सं०–426/2018
जगदीश
बनाम
सरकार आदि
3/1 मृत्युनजय 3/2 धननजय पुत्रगण रामधीरज 3/3 विवेक 3/4 स्वपनिल पुत्रगण सुखेन्द्र 3/5 सुगन्धा पुत्री सुखेन्द्र 3/6 मु० विजय लक्ष्मी बेवा सुखेन्द्र निवासीगण बसथनवा तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती
–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग
तारीख पेशी 09–09–2025
हरगाह मुददई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई० बनाम मुददाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुददई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुददाअलेह बनाये जांय।
लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 09 माह 09 सन 2025 ई० बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।
बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई० जारी किया गया।
द० हाकिम

चौरीचौरी में एटीएस ने मारा छापा, एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर गई

संवाददाता–गोरखपुर। चौरीचौरा थाना क्षेत्र के चौरी खास गांव में बृहस्पतिवार को एटीएस की टीम ने छापा मारा। राजू तिवारी पुत्र अवधेश तिवारी के यहां टीम 12 लगभग साढ़े बारह बजे पहुंची है। इसके बाद 3 घंटे तक पूरे घर की एक–एक कोने की तलाशी लिया।

इस दौरान टीम ने दो दर्जन से अधिक आधार कार्ड ,लैपटॉप सहित अन्य जरूरी कागजात को कब्जे में लिया उसकी सील कर दिया है। टीम राजू तिवारी को अपने साथ लेकर चली गई है। बताया जा रहा है कि फर्जी आधार कार्ड से जुड़े मामले को लेकर टीम ने ये कार्रवाई की है।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
नं0मु0–1227/2024
अदालत– श्रीमान अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर जिला–सिद्धार्थनगर
गंगाधर
बनाम
सरकार
नमिता कुमारी पत्नी योगेन्द्र प्रसाद निवासी महदेवा नानकार तप्पा बजरहा परगना नौगढ़ तहसील शोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर
तारीख पेशी 25–08–2025
वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 25 माह 08 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सरश्ता हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
नं0मु0–5957/2025
धारा 116 उ0प्र0रा0सं0–2006
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी नौगढ़ जिला–सिद्धार्थनगर
घनश्याम पाण्डेय
बनाम
चतुर्भुज पाण्डेय आदि
ग्राम सोनवल तप्पा थरौली परगना व तहसील नौगढ़ जिला सिद्धार्थ नगर
1. नीरज पाण्डेय पुत्र बैजनाथ 2. रजनीश पाण्डेय पुत्र सदानन्द 3. श्रीमती कान्ती देवी पत्नी सदानन्द निवसीगण ग्राम सोनवल तप्पा थरौली परगना व तहसील नौगढ़ जिला सिद्धार्थ नगर
तारीख पेशी 27–08–2025
वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 27 माह 08 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

13 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर प्री–ट्रायल बैठक आयोजित की गई। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अरविन्द राय की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। 13 सितंबर 2025 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना से जुड़े अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शैलेन्द्र नाथ, अधिवक्ता, पक्षकार और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अरविन्द राय ने बताया कि लोक अदालत न्यायिक प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने का माध्यम है।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बस्ती जिला–बस्ती
M.A.C.P.N0–48/2024
राजेश कुमार यादव
बनाम
दा मैनेजर एस.एस.एस.वी.
1. दा मैनेजर एस.एस.एस.वी. इण्टर मीडिएट कालेज द्वारा फूलकली मिश्रा पत्नी शीतला प्रसाद ग्राम डुडवा मिश्र हरैया पो0 संग्रामपुर थाना छावनी जनपद बस्ती उ0प्र0 पिन कोड 272127 (वाहन स्वामी एजेकेशनल इन्स्टीट्यूशन बस पंजीकरण सं0 यू0पी0 51 एठ0 8577)
2. महेश कुमार यादव पुत्र शिवमूरत यादव ग्राम बीरपुर खारहरा पो0 घोरसाए थाना छावनी जिला बस्ती उ0प्र0 पिन कोड 272127
तारीख पेशी 30–09–2025
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 30 माह 09 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

टैक्स बार एसोसिएशन ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन

संवाददाता–संतकबीरनगर। खलीलाबाद में संत कबीर टैक्स बार एसोसिएशन ने अपर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने राज्य कर विभाग द्वारा वसूली प्रमाण पत्र टीटी–45 के निरस्तीकरण में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। एसोसिएशन के अध्यक्ष पतंजलि अग्रहरि एडवोकेट ने कहा कि राज्य कर विभाग ने जनपद के कई व्यापारियों पर एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश जारी किया है। इसके बाद वसूली प्रमाण पत्र जारी कर वसूली अमीनों को भेज दिया गया।

पुरानी व्यवस्था में व्यापारी धारा 32 का प्रार्थना पत्र या अपील से कर मुक्ति पाने के बाद तुरंत वसूली प्रमाण पत्र निरस्त हो जाता था। नई व्यवस्था में विभाग को पहले सीआरए कार्यालय से वसूली प्रमाण पत्र वापस मंगाना पड़ता है। इसके बाद ही टीटी–45 जारी होता है। इस नई प्रक्रिया में 30 दिन या उससे अधिक समय लग रहा है। इस दौरान वसूली अमीन व्यापारियों पर दबाव बनाते हैं। कर मुक्त होने या पूरा कर चुकाने के बाद भी यह समस्या बनी रहती है। वसूली अमीन केवल टीटी–45 की मांग करके व्यापारियों को परेशान करते हैं। ज्ञापन देने वालों में महामंत्री पंकज गुप्ता और कोषाध्यक्ष अभिनव अग्रवाल एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार खेतान, उपाध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव, मो दानिश, प्रवीण कुमार सहित अनेक लोग मौजूद थे।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्ण वाद सं0–642/2024
हरिमंगल सिंह
बनाम
अवधेश
1. अवधेश कुमार पुत्र राम नारायन साकिन कस्बा पिपरा अदाहे थाना खोड़ारे जिला–गोण्डा
तारीख पेशी 23–08–2025
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 23 माह 08 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान पंचम अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय
बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–573/1999
जगदीश आदि
बनाम
रामबोध आदि
5/1 श्रीमती कान्ती देवी विधवा स्व0 जयचन्द्र 5/2 श्रीमती कृष्ण देवी विधवा स्व0 विनोद कुमार 5/3 विनीता दूबे पुत्री विनोद कुमार 5/4 विनो दनी पुत्री स्व0 जयचन्द्र निवासीगण ग्राम कुचैला तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती
तारीख पेशी 27–08–2025
हरगाह मुदई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुदई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 27 माह 08 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

ग्राम रोजगार सेवकों ने उठाई मानदेय भुगतान व कार्य दबाव की समस्या

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। ग्राम रोजगार सेवक (पंचायत मित्र) वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक नौगढ़ ब्लॉक समागार में गुरुवार को हुई। इसमें लंबित मानदेय भुगतान समेत कार्य दबाव की समस्या उठाई गई। साथ ही सात दिन में मानदेय भुगतान न होने पर काम बंद करने की चेतावनी भी दी। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सभी को एकजुट होकर अपनी ताकत का अहसास कराने की जरूरत है। इसके लिए हर ब्लॉक में संगठनात्मक बैठक कर समस्या निदान होने तक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी होगी। बीएलओ के रूप में रोजगार सेवक कृष्णावती देवी पर कार्रवाई गलत ढंग से किया गया है।

इसके लिए संगठन ऐसे अनर्गल कार्रवाई की निंदा करता है। कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों की मजबूती और हक–अधिकार के लिए ब्लॉक स्तर पर लगातार बैठकें आवश्यक हैं। संगठन ने रोजगार सेवकों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन के आदेशानुसार कार्य तो किया जाएगा, किंतु अधिकारियों द्वारा अनावश्यक दबाव डालकर कराने वाले कार्यों का विरोध किया जाएगा। ग्राम रोजगार सेवकों ने चेतावनी दी कि यदि सात दिन के भीतर लंबित मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो वे ब्लॉक स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर से कोई कार्य नहीं करेंगे। इस अवसर पर जिला प्रभारी सदानंद यादव, संजीव कुमार, अब्दुल सबूर, मनोज पांडेय, अवनीश पांडेय, अमरेश यादव, आनंद त्रिपाठी, अजय प्रताप मिश्र, नवल किशोर, राजकुमार, जय किशन, प्रेम लक्ष्मी, कृष्णावती आदि मौजूद रहीं।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान द्वितीय अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय
बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–484/2000
मो0 खलील खां
बनाम
त्रिलोकी सिंह आदि
1. अनुराग सिंह उम्र लगभग 27 वर्ष 2. आशुतोष सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्रगण स्व0 संजय सिंह 3. सन्तोष कुमारी उम्र लगभग 49 वर्ष पत्नी स्व0 संजय सिंह निवासीगण ग्राम चकदहा तप्पा कलवारी परगना नगर पूरब तहसील व जिला–बस्ती
तारीख पेशी 01–09–2025
हरगाह मुदई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुदई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 01 माह 09 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
अदालत– श्रीमान अपर जिलाधिकारी बस्ती जिला–बस्ती
महंगी लाल
बनाम
सरकार
1. रामचन्दर 2. प्रेमचन्द्र पुत्रगण राम औतार 3. श्रीमती फिरता पत्नी रामऔतार निवासीगण वसहवा तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 28–08–2025
वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 28 माह 08 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 21 माह 08 सन 2025 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अरविन्द कुमार वर्मा पुत्र राम अवतार वर्मा निवासी मोहल्ला गांधीनगर पक्का बाजार जनपद बस्ती (उ.प्र.) का निवासी हूँ। मेरा मूल बैनामा बही नम्बर 1 जिल्द संख्या 684 पृष्ट संख्या 65 से 67 क्रम संख्या 591 पर दिनांकित 27–4–1964 व द्वितीय दिनांकित 25.4.1964 बही नम्बर 1 जिल्द नम्बर 685 पेज नं0– 82 – 83 क्रम संख्या 656 पर दिनांक 25–4–64 पर अंकित है कम्पनी बाग के निकट कहीं गिर गया है। काफी तलाश के बाद प्राप्त नही हो रहा है। यदि किसी को उक्त दस्तावेज प्राप्त हो अथवा किसी को कोई आपत्ति हो कृपया निम्नांकित नम्बर पर सूचित अथवा आपत्ति दर्ज कराने की कृपा करें।

अनिल कुमार पाण्डेय (एडवोकेट)
सिविल बार नई बिल्डिंग कमरा नं0028
दीवानी कचहरी बस्ती
मो0 नं0–9721610471

कार्यालय–नगर पालिका परिषद–सिद्धार्थनगर

पत्रांक : 1023/न.पा.परि.सि.नगर/2025–26 दिनांक : 15.08.2025

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

अपील

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थ नगर समस्त नगरवासियों का हार्दिक अभिनन्दन एवं निम्नलिखित अपील करती है कि :-

1. स्वच्छ भारत मिशन के अनतर्गत नगर को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।
2. नगर के विकास हेतु समय पर गृहकर / जलकर जमा करें।
3. गीला कूड़ा एवं सूखा कूड़ा अलग–अलग एकत्र करें एवं गीले कूड़े से घर पर ही खाद बनायें।
4. प्रतिबन्धित पॉलीथीन का प्रयोग न करें एवं नगर को पॉलीथीन मुक्त करने में अपना सहयोग प्रदान करें एवं उपयोग/भण्डारण पर रू0 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) तक जुर्माने का प्रावधान है।
5. नलों की टोटियाँ खुली न छोड़ें एवं नैतिक दायित्वों का निर्वहन करें।
6. अपने पालतू जानवरों को सड़क पर खुला न छोड़ें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर

कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता स्व. कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर इटवा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम गुरुवार को पूर्व मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी के जनसंपर्क कार्यालय में हुआ। नगर पंचायत अध्यक्ष विकास जायसवाल और जिला मंत्री कृष्णा मिश्रा सहित कार्यकर्ताओं ने कल्याण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। उपस्थित लोगों ने कहा कि कल्याण सिंह ने अपना जीवन राष्ट्र, समाज और गरीबों की सेवा में समर्पित किया।

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट
अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com